भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FO...

..., पश्चिम क्षेत्र,
...ern Region,
...र्यावरण भवन"
...aran Bhavan
...रोड नं0–3, Link Road No. 3
...शंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

-448-
-449

क्रमांकः 6-MPC079/2011-BHO/ 197, दि0 - 29- 01- 2013.

प्रति,

अपर मुख्य सचिव(वन),
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषयः छिन्दवाड़ा एवं बैतूल जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 69 (बैतूल–सावनेर–नागपुर) 4/6 लेन में परिवर्तन/मार्ग निर्माण हेतु 38.592 हे0 संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पांढुरना को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीसी 0079/2011–बीएचओ/50 दिनांक 09/01/2012
2. अपर प्रधान मु0व0सं0(भू–प्रबंध) म0प्र0 का पत्रांक एफ–5/685/11/10–11/266 दिनांक 16/1/2013
3. Officer on Special Duty Adhoc-CAMPA. New Delhi का पत्र कमांक 1-20/2010-CAMPA दिनांक 24/01/2013

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी म0प्र0 के पत्रांक एफ–5/685/11/10–11/3199 दिनांक 02/11/2011 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, म0प्र0 शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से छिन्दवाड़ा एवं बैतूल जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0 69 (बैतूल–सावनेर–नागपुर) 4/6 लेन में परिवर्तन/मार्ग निर्माण हेतु 38.592 हे0 संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पांढुरना को वनेत्तर उपयोग के लिये दिये जाने का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 86.00 हे0 अवकमित वनभूमि (सर्वे कमांक 2056, ग्राम–वन समिति–मोही, तहसील–पांढुरना, जिला–छिन्दवाड़ा) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3. परियोजना के अन्तर्गत केवल 4218 वृक्षों एवं 454 बॉसों का पातन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा सडक के किनारे नालियों (side drains) का उपयुक्त निर्माण किया जायेगा ।

.....2..

131



113
29-1-13

-2-

5. उपयोगकर्ता अभिकरण / Concessionaire के खर्चे पर वन विभाग की देख–रेख में सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जायेगा ।

6. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

7. NHAI will take a project for translocating of existing tree, at their own cost over area to be identified by Forest Department as recommended by SAG.

8. निमाण के दौरान वनक्षेत्रों से कोई निर्माण सामग्री अथवा मिट्टी प्राप्त नहीं की जायेगी न ही निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाला कचरा (debris) वनक्षेत्रों में फेका जायेगा ।

9. संलग्न वनक्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये कोई अतिरिक्त या नये मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा ।

10. वनक्षेत्र में श्रमिकों के कैम्प स्थापित नहीं किये जायेंगे ।

11. उपयोगकर्ता अभिकरण सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अथवा उसके द्वारा कार्य पर लगाये गये मजदूरों, ठेकेदारों द्वारा वनों तथा वन्यप्राणियों को कोई हानि नहीं की जाती ।

12. वनीकरण, वन्यप्राणियों अथवा वनस्पितियों के संरक्षण तथा प्रबंधन के हित में केन्द्र शासन अथवा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम क्षेत्रीय, भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों का पालन उपयागकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा ।

13. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

14. राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्त । उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन न होने की स्थिति में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत 25/10/1992 को जारी दिशा निर्देशों की कंडिका 1.9 के अनुसार राज्य शासन के माध्यम से इस कार्यालय को सूचना दी जायेगी । इन शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लघंन को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य शासन उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

भवदीय,

(लखविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) एवं नोडल अधि0, म0प्र0शासन, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. वनमंडलाधिकारी, दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल, जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
4. वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल वनमण्डल, जिला–बैतूल, मध्यप्रदेश ।
5. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल वनमण्डल, जिला–बैतूल, मध्यप्रदेश ।
6. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पांढुरना, जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
7. आदेश पत्रावली ।

(लखविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)